



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-11042026-271738
CG-CG-E-11042026-271738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1770]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 10 अप्रैल, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1839(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 939 (अ) 20 फरवरी 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् **भालूमुड़ा से गारेपेलमा नई स्पर लाईन परियोजना (17 किमी)** के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना संख्यांक का. आ. 939 (अ) 20 फरवरी 2026 का सार दैनिक समाचार पत्र, इस्पात टाइम्स (हिन्दी), रायगढ़ संस्करण, 27.02.2026 एवं दैनिक भास्कर (हिन्दी), बिलासपुर संस्करण, 27.02.2026 में प्रकाशित किया गया था;

और **निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई**। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) के अनुसार उन पर विचार किया गया और उनका निराकरण किया गया;

और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्नो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

ग्राम का नाम :- मिलूपारा, तहसील- तमनार, जिला -रायगढ़ (छ. ग.)

क. सं.	खसरा नं.	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे०)में	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी का नाम
1	108/2 244 308/1 345/1 347/1	0.209 0.065 0.050 0.344 0.110	निजी	कृषि	परसलाल पिता जनकराम, धनसिंह पिता रघुनाथ, शिवकुमार पिता रघुनाथ, दीपमाला पति नीलमणि, प्रेमा पिता नीलमणि, ना बा हंशा पिता नीलमणि, ना बा हर्ष पिता नीलमणि, सेवती पिता रघुनाथ डोलकुंवर पिता रघुनाथ, सुखमती पिता जीवनलाल हारावती पिता जीवनलाल जाति- अघरिया नि. ग्राम भूमिस्वामी
2	246/3	0.045	निजी	कृषि	अशोक वो माधुरी वो तारा पिता मोहितराम केवरावती बेवा मोहितराम पिता चैतराम पिता जीवर्धन जाति-अघरिया सा देह भूमिस्वामी
3	143/2	0.028	निजी	कृषि	धरम सिंह पिता मुनू जाति-रावत सा देह भूमिस्वामी
4	153/7	0.101	निजी	कृषि	हरिशचंद्र पिता तिलकराम जाति-कलंगा सा देह भूमिस्वामी
5	146/7	0.045	निजी	कृषि	बोधन पिता चमार सिंह जाति-कलंगा सा देह वन अधिकार पत्रकधारी

कुल योग :- 0.977 ह.

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि./बी.एस.पी./ईस्ट रेल कॉरीडोर/20E]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 10th April, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 1839(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number S.O. 939 (E), dated the **20.02.2026**, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **BHALUMUDA to GAREPELMA (17 km.)** in the state of Chattisgarh.

And, whereas the substance of the said notification No. 939 (E) was published in the daily Newspapers, **Ispat Times** (Hindi) Raigarh Edition on **27.02.2026** and **Dainik Bhaskar** (Hindi) Bilaspur Edition on **27.02.2026**.

And whereas, **No objections were received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said act;

And, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of subsection (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Name of Village:- Milupara, Tahsil:- Tamnar, Dist:- Raigarh

Sl. No	Khasra No.	Area of Acquired Land	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner
1.	108/2 244 308/1 345/1 347/1	0.209 0.065 0.050 0.344 0.110	Pvt.	Agri.	Paraslal father Janakram, Dhansingh father Raghunath, Shivkumar father Raghunath, Deepmala husband Neelmadi, Prema father Neelmadi, Na. Ba. Hansha father Neeelmadi, Na. Ba. Harsh father Neelmadi, Sevti father Raghunath, Indu father Raghunath, Dolkunwar father Raghunath, Sukhmati father Jeevanlal, Harawati father Jeevanlal. Cast- aghariya ni. village bhoomiswami.
2.	246/3	0.045	Pvt.	Agri.	Ashok wo Madhuri wo Tara father Mohitram, Kevrawati bawa Mohitram father Chaitram father Jeevwardhan. Cast- Aghariya sa deh bhoomiswami.
3.	143/2	0.028	Pvt.	Agri.	Dharam singh father munu cast- Rawat sa deh bhoomiswami.
4.	153/7	0.101	Pvt.	Agri.	Harischandra father Tilakram cast- Kalanga sa deh bhoomiswami
5.	146/7	0.045	Pvt.	Agri.	Bodhan father Chamar singh cast- Kalanga sa deh van adhikar patrakdhari.

Total%& 0-977 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/East Rail Corridor/20E]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer /Con.